*413. [The questioner (Shri Nana Deshmukh) was absent. For answer *vide* page..... *infra*.]

*414. [The questioner (Shri Janardhana Poojary) was absent. For answer *vide* page..... *infra*.]

*415. [The questioners (Shri Khan Ghufran Zahidi and Maulana Obaidullah Khan Azmi) were absent. For answer *vide* page..... *infra*.]

*416. [The questioner (Shri Isam Singh) was absent. For answer *vide* page..... *infra*.]

BPL quota of foodgrains for Gujarat

*417. SHRI LALITBHAI MEHTA: Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state :

(a) the number of families for which the BPL quota of wheat and rice is allotted to Gujarat;

(b) whether any representation has been received by his Ministry from the State Government of Gujarat to allot BPL quota of wheat and rice for 35.52 lakh families;

(c) if so, what is the status of the proposal of increasing the allotment to increased number of BPL families of Gujarat; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SUBHASH MAHARIA): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

The allocation of foodgrains to Gujarat is made on the basis of an estimated 21.20 lakh BPL families, which includes 3.25 lakh Antyodaya families.

2. Under the Targeted Public Distribution System (TPDS), the allocation of foodgrains to the States/Union Territories is made on the basis of poverty estimates of the Planning Commission (1993-94) and on the population projections of the Registrar General of India (as on 1st March, 2000) which are being uniformly followed for all the States/UTs and in view of which it has not been possible to accept the State Government's proposal to increase the coverage in this regard.

श्री ललितभाई मेहता: सभापति जी, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा।

श्री सभापति: क्यों?

श्री ललितभाई मेहता: महोदय, आज ही मंत्री जी ने प्रश्न संख्या 410 का जो जवाब दिया है और मुझे मेरे प्रश्न संख्या 417 का जो जवाब दिया गया है, उसे मैं आपको और पूरे सदन को पढ़कर सुनाना चाहता हूं और आपका संरक्षण इसलिए चाहूंगा कि मंत्री जी ने जो जवाब दोनों प्रश्नों के उत्तर में दिए हैं उनमें से कौन सा सच्चा है, यह मंत्री जी मुझे बताएं और हमारा मार्गदर्शन करें।

श्री सभापति: आप नहीं बता सकते कि कौन सा सच्चा है?

श्री ललितभाई मेहता: नहीं मैं नहीं बता सकता लेकिन मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसे मैं पढ़कर सुनाता हूं। प्रश्न संख्या 410 में मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, वह है:-

"The Public Distribution System is operated under the joint responsibility of the Central Government and the State Governments, the latter being responsible for the identification of families living Below the Poverty Line."

और मेरे प्रश्न के जवाब में मंत्री जी ने बताया है:-

"The allocation of foodgrains to Gujarat is made on the basis of an estimated 21.20 lakh BPL families."

उसको तय करने का तरीका क्या है:-

"Under the Targeted Publication Distribution System, the allocation of foodgrains to the States/Union Territories is made on the basis of poverty estimates of the Planning Commission (1993-94)."

मंत्री जी, आप प्रश्न संख्या 410 में यह बताते हैं कि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह बीपीएल फैमिलीज़ को आईडेंटिफाई करे और मुझे यह कह रहे हैं कि 1993-94 के समय के दरम्यान प्लानिंग कमीशन ने जो बात तय की है, उसके आधार पर गुजरात को यह बीपीएल फैमिलीज़ का कोटा दिया जा रहा है। मंत्री जी, आप यह बताएं कि जब प्रधानमंत्री जी, गुजरात को गरीब गिनते हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय उसे बीपीएल फैमिलीज़ के नीचे, गरीब गिनता है तो आप क्यों नहीं गिनते? गुजरात का यह सवाल बहुत लम्बे समय से चल रहा है और 21 लाख 20 हजार फैमिलीज़ दस साल पहले प्लानिंग कमीशन ने तय की थीं। आप यह बता रहे हैं कि राज्य सरकार जो तय करती है, उसके मुताबिक आप देंगे। तो यह जो ऐनॉमली है, उसमें सच्चाई क्या है, इसे आप बताएं और सभापति जी, आप हमको इस बारे में संरक्षण दें।

श्री सुभाष महरिया: माननीय सभापति महोदय, जहां तक माननीय सदस्य का गुजरात को आवंटन का सवाल है, प्लानिंग कमीशन की ओर से 36 परसैंट का बीपीएल फैमिलीज़ को जो रेश्यो रखा गया है, उसके तहत गुजरात राज्य को जो आवंटन हो रहा है, वह 21.20 लाख बीपीएल फैमिलीज़ के आधार पर हो रहा है। 1993-94 के पावर्टी ऐस्टिमेट के बावजूद भी भारत सरकार ने गुजरात को जो आवंटन दिया है, उसको अगर हम देखें और उसके ऑफ टेक को, उठाव को देखें तो हम पाएंगे कि उठाव का प्रतिशत काफी कम है। बीपीएल फैमिलीज़, अंत्योदय अन्न योजना और एपीएल, इन तीनों में ही उठाव का प्रतिशत कम रहा है। इसके बारे में हमने जानकारी मांगी है। जहां तक गुजरात को गेहूं और चावल देने का सवाल है, गुजरात राज्य को जिन योजनाओं में बराबर गेहूं और चावल दिया जा रहा है, उनमें उठाव ही कम हो रहा है, इसके बावजूद भी सन् 2000 के सैंसस को हमने ध्यान में रखा है।

श्री ललितभाई मेहता: सभापति जी, गुजरात राज्य का रिप्रैजेंटेशन मंत्री जी के पास आया है, उसके बारे में ये कह रहे हैं कि हम पर फैमिली 35 किलो अनाज नहीं दे पा रहे हैं। इसके कारण हमारी दिक्कतें बढ़ती हैं। आपने 35 किलो अनाज पर फैमिली देने का जो प्रावधान किया है, अगर वह देना है तो गुजरात में 36 लाख फैमिलीज़ हैं, उतना अनाज अगर आप हमको नहीं देंगे तो हम कम अनाज उठाकर क्या करेंगे? इसलिए मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि आपने प्रश्न संख्या 410 में जो जवाब दिया है, उसके आधार पर गुजरात सरकार ने जो बीपीएल फैमिलीज़ आईडेन्टीफाई की है, उनको आम मान्य करते हैं या नहीं और उसके मुताबिक आप पीडीएस के लिए अनाज देंगे या नहीं?

श्री सुभाष महरिया: सभापति जी, जहां तक सर्वे करने का सवाल है, सर्वे करना पूर्णतया राज्य सरकारों के जिम्मे है जिसके लिए भारत सरकार ने गाईडलाइंस दी हैं। उन गाईडलांइस के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले जो परिवार हैं, उनके बारे में पूर्ण जानकारी मंगाई जाती है। गुजरात सरकार ने समय-समय पर जो जानकारी भेजी है, उसी जानकारी के आधार पर उनकी कैटेगरीज़ तय की गई हैं। गुजरात सरकार इस समय गेहूं और चावल का जो डिस्ट्रीब्यूशन वहां पर कर रही है, वहां अंत्योदय अन्न योजना है जिसके तहत बीपीएल फैमिलीज़ से भी नीचे के लोगों को गुजरात सरकार अनाज का आवंटन कर रही है। उसके बावजूद पूरा अनाज नहीं उठ रहा है। माननीय सदस्य मेहता भाई ने जो सवाल पूछा है, मेहता जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इसमें थोड़ी सी हमारी मदद करें और गुजरात सरकार द्वारा जो आईडेन्टीफिकेशन किया जा रहा है, वह आईडेन्टीफिकेशन समयानुसार आप हमें वहां से भिजवाएं (**व्यवधान**)

श्री ललितभाई मेहता: भेजा गया है, मंत्री जी आपके पास उनका निवेदन भी है (**व्यवधान**)

श्री सुभाष महरिया: मैं आपको बताना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों में भी गरीब डेढ़ करोड़ परिवारों को आईडेन्टीफाई किया है। हमारी जो 36 लाख बीपीएल फैमिलीज़ हैं, उनके 25 प्रतिशत के लिए भी पूरा उठान गुजरात सरकार के द्वारा अभी तक नहीं हुआ है।

श्री ललितभाई मेहता: मंत्री जी, अंत्योदय अन्न योजना का 3.25 लाख टन है आपके पास।